UPMT010011752024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–आशीष गर्ग, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–502/2024
वीरपाल उर्फ बंगाली प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 157/2022, धारा 307,398,401 भारतीय दण्ड संहिता, थाना नौहझील, जिला मथुरा के अभियुक्त **वीरपाल उर्फ बंगाली** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा/उप–निरीक्षक उमेश शर्मा एवं साथी पुलिसकर्मियों के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 18.04.2022 को सकतपुर बम्बे की पुलिया से समय 02.00 बजे रात लूट/चोरी की योजना बनाते हुए चार व्यक्तियों द्वारा पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के उपरान्त, उनमें से तीन व्यक्तियों को मय आग्नेयास्त्र पकड़ा गया, जबकि एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए व्यक्तियों में से पहले ने अपना नाम भोला बताया, जिससे एक तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस व रूपए बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम वीरपाल उर्फ बंगाली बताया, जिससे एक तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस व रूपए बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम राहुल बताया, जिससे एक तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुए। उक्त तीनों के पास से ही मौके से एक डस्टर कार रंग सफेद व एक मोटरसाइकिल सी०डी० डीलक्स भी बरामद हुई, जिनके द्वारा डस्टर गाड़ी राहुल की बताई गई और मोटरसाइकिल का प्रयोग उनके द्वारा फर्जी नंबरप्लेट लगाकर किया जाना बताया गया। पकड़े गए उपरोक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा कुछ अन्य अपराध, जिनका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित है, भी करना स्वीकार करते हुए, अपने भागे हुए साथी का नाम कन्हैया बताया गया। तद्नुसार तीनों अभियुक्तगण को उनके अपराध से अवगत कराने के उपरान्त, हिरासत पुलिस में लिया जाकर, यह अभियोग विरूद्ध उपरोक्त चारों अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा राजेन्द्र सिंह पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि सह–अभियुक्तगण भोला, राहुल व कन्हैया की जमानत स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और उसको गलत व झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित घटना नहीं की है और न ही कथित घटना में पुलिसपार्टी के कोई चोट है और न ही स्वतन्त्र साक्षी है , उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न ही उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दाखिल किया है और न लम्बित है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला

Digitally signed by ASHISH GARG
Date: 2024.02.09 18:06:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPMT010011752024

शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

5– इस प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगण को चोरी/लूट की योजना बनाते हुए पकड़ने हेतु जाने पर, उनके द्वारा पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया जाना व मौके से ही आवेदक/अभियुक्त सहित तीन अभियुक्तगण को मय आग्नेयास्त्र के पकड़ा जाना आक्षेपित है।

कथित घटना का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी हो अथवा कथित घटना में किसी पुलिसकर्मी के कोई चोट आई हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है।

स्वीकृत रूप से सह–अभियुक्तगण भोला, कन्हैया व राहुल की जमानत स्वीकार हो चुकी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त **वीरपाल उर्फ बंगाली** की किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 50,000/– (पचास हजार) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–09.02.2024

(आशीष गर्ग)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1887

अटल राम चतुर्वेदी